[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ] कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 🔝 फरवरी, 2022

सा.का.नि....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 12 में, उपनियम (1क) के बाद, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

"(1ख) धारा 135 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन आने वाली प्रत्येक कंपनी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2020-2021 और उससे आगे प्ररूप सीएसआर-2 में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर एक रिपोर्ट प्ररूप एओसी-4 या एओसी-4 एक्सबीआरएल या एओसी-4-एनबीएफसी (इंडएएस), जैसा भी मामला हो, के परिशिष्ट के रूप में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी।

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2020-2021) के लिए प्ररूप सीएसआर-2 को, 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले अलग से प्ररूप एओसी-4 या एओसी-4एक्सबीआरएल या एओसी-4 एनबीएफसी (इंडएएस), जैसा भी मामला हो, फाइल करने के बाद अलग से फाइल किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों में, उपाबंध में, प्ररूप एओसी-4 सीएफएस के बाद, निम्नलिखित प्ररूप को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सीएसआर-2

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12 के उपनियम (ख) के अनुसार]



कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्ट

प्ररूप	ग की भाषा	
प्ररूप	। भरने के निदेश किट देखें।	
1.	*(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) पूर्	र्ग पूरित
	*(ख) कंपनी का नाम	
	*(ग) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	****
	*(घ) कंपनी की ई-मेल आईडी	
2.	(क) *वितीय वर्ष जिससे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ब्यौरा संबंधित है:	
	(दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष) तक	
	(ख) *कंपनी द्वारा फाइल एओसी-4/एओसी-4एक्सबीआरएल/एओसी-4 एनबीएफसी	का एसआरएन
	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	
3.	(i) *निवल मूल्य	
	(ii) ∗टर्नओवर	
	(iii) ∗िनवल लाभ	
	(iv) सीएसआर प्रयोज्यता को उत्प्रेरित करने वाले मानदंड	
4.	(क)(i) क्या सीएसआर समिति का गठन किया गया है Oहां Oनहीं Oलागू नहीं	
	(ii) सीएसआर समिति बनाने वाले निदेशकों की संख्या	****

क्र.सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	वर्ग	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया

(iii) वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या

((iii) कर	ग कंपनी (सीएसआर नीरि	ते) नियम, 2014 के वि	नेयम 9 के 3	ानुसरण में कं	पनी की वेबसाइट	पर
निम	नतिखि	त को प्रकट किया गया) :				
	 सीव 	एसआर समिति की संरच	ना	oहां	०नहीं ०ल	ागू नहीं	
	 सी। 	एसआर नीति		०हां	oनहीं	•	
	• बोर्ड	ई द्वारा अनुमोदित सीएर	ाआर परियोर्जनाएं	०हां	ं नहीं	•	
(ग):	*(i) कर	या कंपनी (सीएसआर नी	ति) नियम, 2014 के	नियम 8 के	उपनियम (३	3) के अनुसरण	में
	सीएस	आर परियोजनाओं का प्र	भाव मूल्यांकन किया व	गया है, यदि	लागू हो		
				० हां	०नहीं ०ल	ागू नहीं	
ुराशि	समार	ं कंपनी (सीएसआर नीति गोजन के लिए उपलब्ध है i, तो ब्यौरा प्रदान करें:		०हां	oनहीं		•
` .	·	वितीय वर्ष	मृजरा के लिए	वित्तीय वर्ष	में मुजरा	की शेष राशि	······
	•		उपलब्ध राशि (रूपवे में)	I	~		
	1	वि.व1 (वितीय वर्ष के					
		समाप्ति की तारीख)		,			
	2	वि.व2 (वितीय वर्ष के					
		समाप्ति की तारीख)					
	3	वि.व3 (वितीय वर्ष के					٦
	1	Transport of Julian	i	1		1	

(ख)(i) *क्या कंपनी की कोई वेबसाइट है oहां

क्ल

(ii) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें

5. (क) *क्या कंपनी अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अविध को पूरा कर लिया है *हां *नहीं (ख) यदि नहीं, तो निगमन के बाद से पूरा हुए वितीय वर्षों की संख्या प्रदान करें (ग)*पिछले वितीय वर्ष के लिए निवल लाभ और अन्य विवरण:

क्र.सं.	विवरण		राशि (रुपये मे	ř)
		वितीय वर्ष-1	वित वर्ष-2	वितीय वर्ष-3
1	कर देने से पूर्व लाभ			
2	धारा 198 . के अधीन परिकलित निवल लाभ			
3	सीएसआर नीति नियम 2014 के नियम 2(1)(ज) के अनुसार समायोजित कुल राशि			
4	धारा 135 के लिए कुल निवल लाभ (2- 3)			

(घ)∗	धारा	135(5)	कें	अनुसार	कंपनी	का	औसत	निवल	लाभ	***************************************
------	------	--------	-----	--------	-------	----	-----	------	-----	---

- - (ख)*सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों या पिछले वितीय वर्ष में किए गए कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो
 - (ग) * वितीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि, यदि कोई हो
 - (घ) * वितीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (6क+6ख+6ग)
- 7. (क)∗क्या वितीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि व्यय की गई है

*हां *नहीं

- (ख) यदि हां, तो व्यय की गई सीएसआर राशि:
 - ० वर्तमान परियोजनाएं
 - वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त
 - दोनों (वर्तमान और वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त)
- (i) वितीय वर्ष के लिए वर्तमान परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: वितीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5		6		8	9	10			
茶	परियोज ना आईडी	अनुस्षी	परियोज ना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोज स्थान	परिवोजना का स्थान		विसीय वर्ष में सर्व की गई राशि (क्पवे में)	कार्यान्ययन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्ययन क कार्यान्ययन एवं से			
					राज्य	राज्य ज़िला				सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	गम		

1							
2							
3							
4							
5							
				कुल	xx		

(ii) वितीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य की संख्या

1	2	3	4		5	6	7	8		
क्र.सं.	अनुसूची VII में किए कार्यकलापों की सूची की मदें	परियोज ना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना	कास्यान	वितीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपये में)	ŧ .	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से		
				राज्य	ज़िला	MI		सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	नाम	
1										
2										
3										
: '					कुल	xx				

(ग)∗ प्रशासनिक शिरोपरि में व्यय की गई राशि
(घ)∗प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो
(ड.) * वितीय वर्ष के लिए व्यय की गई राशि
(च)*वितीय वर्ष के लिए अव्ययित राशि/(अधिक) व्ययित की गई {6(घ)-7(ड.)] वर्तमान परियोजनाओं के
लिए अव्ययित)
(छ)∗वितीय के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरण के लिए पात्र राशि धारा 135(6) के अनुसार
वर्ष (समायोजन से पहले)
(ज)*अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि
वितीय वर्ष (यदि वितीय वर्ष के लिए कुल अव्ययित से अधिक है) वर्तमान परियोजनाओं के लिए अव्ययित)

8. वितीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के हस्तांतरण का विवरण: (क)धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण

अव्ययित सीएसआर	राशि वस्तुत: अव्ययित	स्थानांतरण की	त्रुटि, यदि कोई हो
खाते में अंतरित की जाने	सीएसआर खाते में	तारीख	
वाली राशि	स्थानांतरित की गई		
			The state of the s

(ख)वित्तीय वर्ष के लिए धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरण:

अनुसूची	VII	में	अनुसूची	VII	में	स्थानांतरण	की	त्रुटि,	यदि	कोई	हो
विनिर्दिष्ट	निधि	में	विनिर्दिष्ट	निधि में	मूल	तारीख		Ĭ			
अंतरित की	जाने	वाली	रूप से अंत	गरित राशि	<u>.</u>						
राशि											

9.	*	कारण	निर्दिष्ट	करें	यदि	कंपनी	धारा	135(5)	के	अनुसार	औसत	निवल	लाभ	का	दो	प्रतिशत	व्यय
कर	ने	में विप	nल रही i	<u>ਵ</u> ੋ:													

10. *क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों (22 जनवरी, 2021 के बाद समाप्त होने वाले वितीय वर्ष) की कोई अव्ययित राशि वितीय वर्ष में व्यय की गई है *हां *नहीं

(क) पिछले तीन वितीय वर्ष (वर्षों) से संबंधित वितीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8
क.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	अव्ययित सीएसआर			धारा 135(5), यदि कोई हो, के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट के रूप में एक निधि को हस्तांतरित राशि	वितीय वर्षी में व्यय की	बुटि, यदि कोई हो

			राशि (रूपये में)	स्यानांतरण की ति य ि	
1	वितीय वर्ष-1				
2	वितीय वर्ष-2				-
3	वितीय वर्ष-3				
		,			

(ख) पिछले वितीय वर्ष(वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वितीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

चल रही परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं ·	परियोज ना आईडी	परियोज ना का नाम	वितीय वर्ष जिसमें परियोज ना आरंभ की गई	परियोजना	में व्यय की गई राशि (रुपये में)	वितीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रुपये में)	1
1							
2							
3							
4					:	i	

(ग)(i) क्या पिछले तीन वितीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से वितीय वर्ष में कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू की गई है *हां *नहीं

- (ii) यदि हां, तो सीएसआर राशि व्यय की गई:
 - ० वर्तमान परियोजनाएं
 - o वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त
 - दोनों (वर्तमान और वर्तमान पिरयोजनाओं के अतिरिक्त)

(iii) वित्तीय वर्ष में वर्तमान में नई सीएसआर परियोजना पर व्यय की गई राशि का विवरण:

चाल् परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	1	
新. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	परियो जना आईडी	वितीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुस्ची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोज ना का नाम	स्या नीव क्षेत्र (हां/न हीं)	परिवोज स्यान	ना का	परियोज ना की जबिंप (महीनों में)	विसीय वर्ष में खर्च की गईं राशि (क्पवे में)	कार्याज्यसन का तरीका - प्रत्यक्ष	कार्याज्ययन माध्यम से - क तरीका	एजेंसी के विन्यवन का
						राज्य	ज़िला			(हां/नहीं)	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संक्या	नाम
1												
2												
3												
4												
5												
								कुल	xx	"		

(iv) वित्तीय वर्ष में वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य नई व्यय की गई राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं.	वितीय वर्ष जिससे नई परियोजना	अनुसूची VII में गतिविधियाँ की सूची से	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना क स्थान	में व्यय की गई राशि	प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका
	संबंधित है	मदें			राज्य ज़िला	(रुपये में)	(हां नहीं)	सीएसआर नाम रजिस्ट्रीकरण संख्या
1								
2								
3								
					कुल	XX	<u></u>	

11. क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 से वितीय वर्ष 2019-20 से संबंधित कोई अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में व्यय की गई है *हां *नहीं

सीएसआर परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रमां	वितीय वर्ष	अनुसूची	परियोजना	स्थानीय	परियोजना का	वितीय वर्ष	कार्यान्वयन	कार्यान्वयन एजेंसी के
क	जिससे नई	VII में	का नाम	क्षेत्र	स्थान	में खर्च की	का तरीका	माध्यम से - कार्यान्वयन
		गतिविधि		(हां/नहीं)			-	का तरीका

	परियोजना	यों	की		राज्य	ज़िला	गई राशि	प्रत्यक्ष	सीएसआर	
	संबंधित है	सूची	से	'			(रुपये में)	(हां नहीं)	रजिस्ट्रीकरण	नाम
		मद		 					संख्या	
1									1	
2									2	
3									3	
						कुल	xx			

12.	*क्या वितीय वर्ष में व	त्र्यय किए गए	सीएसआर	के माध्यम	से कोई	पूंजीगत ।	परिसंपति	निर्मि	त या
अर्जित	की गई है		∗हां	* नहीं					
यदि हां	, निर्मित/अर्जित पूंजीग	त परिसंपतियों	की संख्या	दर्ज करें					
वितीय	वर्ष में व्यय किए गए	सीएसआर के	माध्यम से	इस प्रकार	निर्मित	या अर्जित	की गई	ऐसी र	संपत्ति
(संपति-	यों) से संबंधित विवरण	प्रस्तुत करें:							

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपति	संपत्ति या	निर्माण	व्यय की	रजिस्ट्रीकृत	स्वामी	की
	का संक्षिप्त विवरण	परिसंपति	की	गई	इकाई/प्राधिकरण	ग/लाभार्थी का वि	वेवरण
}	[संपत्ति का पूरा पता	का पिन	तारीख	सीएसआर			
	और स्थान सहित]	कोड		राशि			
					सीएसआर	नाम	रजिस्ट्रीकृत
					रजिस्ट्रीकरण		पता
					संख्या, यदि		
					लागू हो		
			क्ल	XXXX			

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी)

	-	-	
*	ĸ	•	97

संलग्नों की सूची		
1. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो	संलग्न करें	*********

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या द्वारा तारीख द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में इस मामले का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

- 13. इस प्ररूप में और इसके संलग्नक में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना सामग्री को छुपाया या छुपाया नहीं गया है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।
- 14. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं। निदेशक द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है।

*डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित किया जाना है	डीएससी बॉक्स
*पदनाम	
*निदेशक का डीआईएन	

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमशः धोखाधड़ी, मिथ्या और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से तथा फाइल करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में रख दिया गया है।

सेव प्ररूप चैक करें परियोजना आईडी बनाएं प्रस्तुत करें

[फा.सं.1/19/2013-सीएल.V-भारत्भा।]

के.वी.अर. मूर्ति, संयुक्त संचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 239 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723 (अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2014, सा.का.नि. 37 (अ) तारीख 16 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 680 (अ), तारीख 4 सितंबर, 2015, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 1371 (अ), तारीख 7 नवंबर, 2017, सा.का.नि. 191 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 803 (अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2019, सा.का.नि. 60 (अ), तारीख 30 जनवरी, 2020 और सा.का.नि. 205(अ), तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

[TO BE PUBLLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the ...\ February, 2022

- G.S.R.- (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
- "(1B) Every company covered under the provisions of sub-section (1) to section 135 shall furnish a report on Corporate Social Responsibility in Form CSR-2 to the Registrar for the preceding financial year (2020-2021) and onwards as an addendum to Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be:

Provided that for the preceding financial year (2020-2021), Form CSR-2 shall be filed separately on or before 31st March 2022, after filing Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be.".

3. In the said rules, in the Annexure, after Form AOC-4 CFS, the following form shall be inserted, namely:-

CSR-2

[Pursuant to sub-rule (1B) of Rule 12 of Companies (Accounts) Rules, 2014]



Report on Corporate Social Responsibility (CSR)

L	
	Form language o English o Hindi
	Refer the instruction kit for filing the form.
1.	*(a) Corporate Identity Number (CIN) of the company
	*(b) Name of the company
	*(c) Address of the registered office of the company
	*(d) email ID of the company
2.	(a) *Financial Year to which the Corporate Social Responsibility details pertain: From (DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY)
	(b) *SRN of form AOC-4/ AoC-4 XBRL/ AoC-4 NBFC filed by the company for its
	standalone financial statements
3.	(i) *Net Worth
	(ii) *Turnover
	(iii) *Net Profit
	(iv) Criteria that triggered CSR applicability
4.	(a)*(i)Whether CSR Committee has been constituted O Yes ONo ONot Applicable
	(ii) Number of directors composing CSR Committee (iii) Number of meetings of CSR Committee held during the year

. No.	DIN	Name Directo	of r	Category	No. of meetings of C attended during the yea	
						
(ii) I (iii) W of Com • Com • CSR	ompanies position o Policy projects a	vide web llowing h (CSR Po f CSR co	-link as been licy) Ru mmittee	disclosed on the webs	OYes ONO Site of the company in pursua Yes O No O N.A. Yes O No es O No Arried O Yes O No O	
Com (ii) *If` (iii) Pro	panies (C Yes, wheth	SR Policy mer the sa -link, if a	y) Rules me has	of Rule 8 of ,2014, if applicable been disclosed in the		O _{No}
of R		ompanie		lable for set off in pur Policy) Rules, 2014	suance of sub-rule (3)	Yes O No
S. No.	Financi Year	al	Amour off (in	nt available for set- Rs.)	Amount set-off in the financial year, if any (in Rs)	Balance Amount (in Rs.)
1	FY-1 (Financi Year Date)	al End				
2	FY-2 (Financi Year Date)	ial End	,			·
3	FY-3 (Finance Year	ial End				

		Total						***************************************			
			company h		_	(oration) _Y	es C) _{No}		
	comp	leted since	ovide the nu incorporati	on			ial years:				
S.	No.	Particul	ars				F34 7 -4		Amount (in	Rs)	
<u> </u>	•	D C.1	· ·				FY-1		FY-2		FY-3
_	1	Profit be		1 / 104							
<u> </u>	3		it computed			1-) -C					
	3	1	ount adjust Policy Rule	_		n) or					
-	4		t Profit for								4.1.1.1
	(d)* A	verage ne	profit of th	e comp	any as per	section 1	135(5)				
6.	(a)* 2	% of Aver	age net prof	fit of the	e company	as per se	ection 13	5(5)			
			ing out of the sign of the sig			rograms	or activit	ties of			
	(c)* A	amount req	uired to be	set off 1	for the finar	ncial yea	r, if any				·
	(d)* T	Cotal CSR	obligation fo	or the fi	inancial yea	ır (6a+6	b-6c)				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
7.	(a)* \	Whether C	SR amount	for the f	financial ye	ar has b	een spent		0	Yes	O No
	(b) If	yes, CSR	amount h	as been	spent aga	inst:					
		Ongoing			-						
			an ongoing								
	C	Both (O	ngoing and	other	than ongoi	ng proj	ects)				
	(i) De	etails of C	SR amoun	t spent	against or	ngoing j	projects	for the fir	nancial yea	r:	
	Nun	nber of Or	igoing Pro	jects fo	or the finan	icial yea	ar				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0	

S.	Proj	Item	Name	Lo	Loc	atio	Proj	Amo	Mode	Mode	of
N	ect	fro	of the	cal	n o	f the	ect	unt	of	Implen	nentation
0.	ID	m	Project	Ar	Pro	ject	dur	spent	Imple	-	
ĺ		the		ea			atio	in the	ment	Throug	•
		list		(Y			n (in	Finan	ation	_	nenting
		of		es/	ļ	·	mon	cial	*	Agency	<u></u>
		acti vitie s in sche dule VII		No)	St at e	Di str ict	ths)	Year (in Rs.)	Direc t (Yes/ No)	CSR Regis tratio n No.	Name
1											
2		·									
3											
4											
5											
							Tota 1	XX			

(ii) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

Number of Other than Ongoing Projects for the financial year

1	2	3	4	5		6	7	8		
S. No.	Item from the list of activit	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location Project	on of the	Amount Spent in the Financial Year (in	Mode of Implement ation - Direct (Yes/No)			
	ies in sched ule VII			State	District	Rs.)		CSR Registrat ion No.	Name	
1										
2										
3										
× , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 					Total	XX			<u> </u>	

(c)*	Amount spent in Administrative Overheads	

(d)* Amount spent on Impact Assessment, if applicable	
---	--

	(e)* Total Amount Spent for the	Financial Year			
	(f)* Amount unspent/ (excess) sp unspent for Ongoing projects		(d)-7(e)]		
	(g)* Amount eligible for transfer Year as per Section 135(6) (l		the Financial		
	(h)* Amount to be transferred to Financial Year (if total unspe- unspent for Ongoing projects	nt for the Financial Year is g			
8.	Details of transfer of Unspent	CSR amount for the finance	ial year:		
	(a) Transfer to Unspent CSR a	account as per Section 135	(6)		
	Amount to be	Amount actually transferred to Unspent CSR account	Date of Transfer	Deficiency, if any	
					-
	(b) Transfer to Fund specified Year: Amount to be transferred to Fund specified in Schedule	in Schedule VII as per sec Amount actually transferred to Fund specified in Schedule	ond proviso to Sec Date of Transfer	tion 135(5) for the Fina	ancial
	VII	VII			
9.	*Specify the reason(s) if the cor 135(5):	npany has failed to spend to	vo per cent of the av	verage net profit as per s	section
10	. *Whether any unspent amount January 2021) has been spent O Yes O No	• •	al years (financial	year ending after 22 nd	
	(a) Details of CSR amount spe	ent in the financial year per	taining to three pre	eceding financial year(s	s):

	4 T	_	~	A	F			7		T
-	1	2	3	4	5	6			8	1
	S	Prece	Amount	Balance	Amount	Amount tr	ansferred	Amount	Deficie	
- 1	٠	ding	transfer	Amount in	Spent	to a F		remaini	ncy, if	l
	N	Fina	red to		in the			ng to be	any	l
	o	ncial	Unspen	CSR	Financi	Schedule \	VII as per	spent in		l
	.	Year(t CSR	Account	al Year	second pr	roviso to	succeed		l
		s)	Account	under	(in Rs)	Section 1	135(5), if	ing		l
			under	section 135		any		financia		l
			Section	(6) (in Rs)				1 years		l
			135(6)					(in Rs)		
			(in Rs.)					·		1
				}		Amount	Date of			1
١				·		(in Rs)	Transfe			Ì
L						(22. 23.5)	r			1
	1	FY-1								
	2	FY-2								
	3	FY-3								1
										1

(b)	Details of CSR	amount spent	in the	financial	year f	for	ongoing	projects	of the	preceding
fina	nncial year(s):									

Number of Ongoing Projects

1	2	3	4	5	6	7	8
S · Z o ·	Projec t ID	Name of the Proje ct	Financial Year in which the project was commen ced	tĥe	Amount Spent in the Financial Year (in Rs)		project -
1							
2							
3							
4							

•			-	v CSR pro	-			lertaken			al year fro No	m the Unspent amoun
(O Or O Or O Bo	ngoing ther tha oth (On	project(n ongoi going a mount	ng project nd other s spent aga	ct(s) than on	going	g proj	ects)	oject in	the fin	ancial yea	ar:
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	·····	11
S. N o.	Proj ect ID	Fina ncia l year to whic	Item fro m the list of	Name of the project	Lo cal Ar ea (Y es/	Loc n o	eatio f the ject	Proj ect dur atio n (in mon	Amo unt spent in the Finan cial	Mod of Imp men ation	Implate Implat	of ementation ugh ementing
		h the new proj ect pert ains	acti vitie s in sche dule VII		No)	St at e	Di str ict	ths)	Year (in Rs.)	Dire t (Yes No)	Regis	Name
1												
2												
3						ļ	ļ					
4		<u></u>										
5								Tota 1	XX			
(iv)			•	against ne n Ongoing			ongoi	ng proje	cts in the	financi	ial year:	
1	2	3	4		5	6			7	8		9
S. No	Fina ncial year	Item fron the	- 1	ne of project	Local Area	l	ation ject	of the	Amoun Spent the	in I	Mode of mpleme tation -	Mode of Implement ation -

	to whic h the	list of activi ties in		(Yes/ No)			Financial Year (in Rs.)	Direct (Yes/No)	Through Implementing Agency	
	new proje ct perta	sched ule VII			State	District			CSR Registra tion No.	Name
	in									
_				_						
				-	-					
-					-	Total	XX			
		unt spen	t against CSF Projects	t projects	in the fir	nancial year	•			
		•			6		7			
	2	3	4	5	Το			8	9	
Io	Finan cial year to	Item from the list of	Name of the project			on of the	Amount Spent in the Financial	Mode of Implemen tation - Direct	Mode Implemen Through Implemen Agency	
	Finan cial year	Item from the	Name of	Local Area (Yes/	Location		Amount Spent in the	Mode of Implemen tation	Mode Implemen Through Implemen	tation -
	Finan cial year to which the new proje ct pertai	Item from the list of activi ties in sched ule	Name of	Local Area (Yes/	Location Project	t	Amount Spent in the Financial Year (in	Mode of Implemen tation - Direct	Mode Implemen Through Implemen Agency CSR Registra	tation - ting
	Finan cial year to which the new proje ct pertai	Item from the list of activi ties in sched ule	Name of	Local Area (Yes/	Location Project	t	Amount Spent in the Financial Year (in	Mode of Implemen tation - Direct	Mode Implemen Through Implemen Agency CSR Registra	tation - ting
•	Finan cial year to which the new proje ct pertai	Item from the list of activi ties in sched ule	Name of	Local Area (Yes/	Location Project	t	Amount Spent in the Financial Year (in	Mode of Implemen tation - Direct	Mode Implemen Through Implemen Agency CSR Registra	tation - ting

	or asset(s)	property		spent				
	[including	or						
	complete	asset(s)						
	address and							
	location of the							
	property]							
		·			CSR	Name	Registered	
		-			Registration		address	
					Number, if			
					applicable			
			Total	XXXX				
(A11 tl	ne fields should be can	tured as ann	<u> </u>		cord, flat no, hou	se no. Mu	nicipal Office/Municipal	
•	-		_				rty as well as boundaries)	
Оогра	The state of the s		p will the table			ore proper	ing as were as southwares,	
Attachments List of Attachment								
1.Optional	attachment(s), if any							
			De	claration				
I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number *								
*Dated to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the								
rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:								
13. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no								
information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the								
original records maintained by the company.								
14. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.								
To be digitally signed by one director.								
*To be o	ligitally signed by		T					
							10	

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through CSR spent in the financial year: Short particulars | Pin code | Date | of | Amount | Details of entity/ Authority/ beneficiary of |

the creation of CSR the registered owner

No. of the property of

*Designation								
*DIN of the director;								
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.								
This eform has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode on the basis of statement of correctness given by the authorized person.								

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended vide notifications number G.S.R. 723(E), dated the 14th October, 2014, G.S.R. 37(E), dated the 16th January, 2015, G.S.R. 680(E), dated the 4th September, 2015, G.S.R. 742(E), dated the 27th July, 2016, G.S.R. 1371(E), dated the 7th November, 2017, G.S.R. 191(E), dated the 27th February, 2018, G.S.R. 725(E), dated the 31st July, 2018, G.S.R. 803 (E), dated the 22nd October, 2019, G.S.R. 60 (E), dated the 30th January, 2020 and G.S.R. 205(E), dated the 24th March, 2021.